(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 32 / 2025
GCMS NO. 2025 / 187

सहीराम पुत्र हीराराम जाति मेघवाल निवासी बास कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।

– प्रार्थी

बनाम

1. जुगलाल पुत्र हनुमानाराम जाति मेघवाल निवासी बास कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
2. रामूराम पुत्र हनुमानाराम जाति मेघवाल निवासी बास कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
3. सुखवीरसिंह पुत्र हनुमानाराम जाति मेघवाल निवासी बास कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
4. फुलचन्द पुत्र दुलाराम जाति मेघवाल निवासी बास कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
5. रतनसिंह पुत्र दुलाराम जाति मेघवाल निवासी बास कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
6. मोहनसिंह पुत्र चन्द्राराम जाति मेघवाल निवासी बास कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
7. लालचन्द पुत्र हीराराम जाति मेघवाल निवासी बास कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
8. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक।
9. बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक।
10. बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जाबासर जरिये शाखा प्रबन्धक।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर जिला झुझुनूं।

– अनावेदकगण

वकील आवेदक – श्री जयसिंह गौड़
वकील अनावेदक –

प्रार्थनापत्र बाबत सीमाज्ञान किये जाने पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 30.07.2025

संक्षेप में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम बास कालियासर में भूमि हाल ख.न. 253 / 221 रकबा 0.96 है0 भूमि अवस्थित है। जो आवेदक की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। आवेदक अपनी भूमि पर शांति पूर्वक काबिज काश्त है। आवेदक की भूमि के सीमा के पास पड़ौस में अनावेदक संख्या 1 लगायत 7 की भूमि ख0न0 216, 220, 221, 256 / 223, 254 / 223, 224 स्थित है। आवेदक अपनी भूमि पर अपनी फसल को आवारा पशुओं से बचाने तथा उन्नत कृषि करने हेतु अन्य सुधार कार्य कर तारबन्दी करना चाहता है ताकि भविष्य में कोई विवाद नहीं हो इसलिये आवेदक अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। आवेदक ने अपनी भूमि का नियमानुसार तहसीलदार

मलसीसर से दिनांक 09.05.2025 को सीमाज्ञान करवा लिया है। इसलिये मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायासंगत है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदक की उक्त वर्णित भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अनावेदक संख्या 1 लगायत 10 बाद तामील अनुपस्थित। अनावेदकगण की तामिल विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 8 लगायत 29 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाबदेही पूर्ण होने के उपरान्त बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता आवेदक ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये आवेदक की भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी करवाये जाने का अनुरोध किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदिका के प्रार्थना पत्र एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। आवेदक अपनी खातेदारी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी करवाना चाहता है जो न्यायसंगत है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। तमाम साक्ष्य सबूतों, दस्तावेजों एवं बहस विद्वान अधिवक्ता के प्रकाश में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम बास कालियासर स्थित भूमि ख0न0 253/221 रकबा 0.96 है0 भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर